राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1965/2010/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, राज. जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड,
श्री जी टॉवर, सी–स्कीम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/3/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 188/आरएसटी/1999–2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी (TELCO) मोटर व्हिकल का विक्रय करता है। व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 5.5.97 को किया गया था, जिसमें पाया गया कि मोटर वाहन के चैसिस के साथ स्टेपनी टायर रिम को बिल में दर्शाते हुए विक्रय करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि स्टेपनी टायर की बिक्री अलग से की जा रही है। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 1995–96 का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत दिनांक 21.3.98 को पारित किया जाकर टायर की बिक्री रूपये 38,78,064/– पर अन्तर कर @ 6% रूपये 2,32,690/–, धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 4,65,380/– व ब्याज रूपये 1,34,960/– आरोपित किया गया। तत्पश्चात यह तथ्य ज्ञान में आने पर कि आलौच्य अवधि में टायरों पर 12 प्रतिशत की दर से करदेयता थी, प्रकरण को अधिनियम की धारा 30 के तहत पुनः खोलकर आदेश दिनांक 7.8.99 पारित कर 2% की दर से अन्तर कर रूपये 77,561/–, करापवंचन के कारण अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 1,55,122/– व कर अदत्त रहने के कारण ब्याज रूपये 72,907/– आरोपित कर कुल मांग रूपये 3,05,590/– सृजित की।

लगातार.............2

उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2010 द्वारा अतिरिक्त आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया, जिसके विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने विधिविरूद्ध, अविधिक, त्रुटिपूर्ण व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी के सर्वेक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ था कि प्रत्यर्थी द्वारा मोटर व्हिकल की बिक्री के साथ अतिरिक्त टायर रिम की बिक्री की अलग से राशि वसूल की जाती है, जिस पर मोटर वाहन की दर 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जाता है। वर्ष 1995—96 में मोटर पार्ट्स पर कर दर 12 प्रतिशत होने के कारण पुनः धारा 30 के तहत कर निर्धारण कर अन्तर कर, ब्याज व शास्ति उचित रूप से आरोपित की गई थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर विधिक भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत TATA LC 150 Model Bus में 6 टायर का प्रयोग किया जाता है, जो लगे (Fitted) होते हैं। प्रत्यर्थी द्वारा वाहन के साथ एक अतिरिक्त टायर सप्लाई किया जाता है, जिसका विक्रय मूल्य बिलों में अलग से ग्राहकों से वसूल किया जाता है। स्टेपनी टायर बिक्रीत वाहन का अंग नहीं होने व स्पेयर पार्ट नहीं होने के कारण इस पर वर्ष 1995—96 में 12 प्रतिशत से कर देयता थी, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित व विधिक रूप से कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की नीयत से वाहन की कर दर से स्टेपनी टायर पर कर चुकाकर करापवंचन किया था, इसलिए शास्ति आरोपित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित दृष्टान्तों का सहारा लेकर करारोपण व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिक रूप से उचित होने के कारण करारोपण, ब्याज व शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया है।

लगातार.............2

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राहकों को वाहन की बिक्री संविदा (Contract) की जाती है, न कि स्टेपनी टायर अलग से विक्रय करने की। प्रत्यर्थी द्वारा कम्पनी से खरीदे गये वाहनों के साथ स्टेपनी लगे हुए वाहन प्राप्त होते हैं, जिन पर कम्पनी को मोडवेट भी मिलता है। यह स्टेपनी टायर बिक्रीत वाहन का ही अंग होता है। बिल में स्टेपनी टायर का अंकन कर विक्रय मूल्य दर्शाने से स्टेपनी टायर की अलग से बिक्री किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

अग्रिम कथन किया कि राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 7.34 के अनुसार मोटर यान के साथ कम से कम एक टायर वाहन में अतिरिक्त लगी हुई होनी चाहिये, इसलिए वाहन विक्रय करने पर विशिष्ठ जगह पर अतिरिक्त टायर रिम ग्राहकों को मोटर यान के विक्रय में ही दिया जाता है, जिसका अलग से कॉन्ट्रेक्ट नहीं होता है। अतः अलग से विक्रय नहीं होने के कारण भी यान की दर से ही कर देय है।

अग्रिम कथन किया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या F.No.332/64/86-TRU दिनांक 24.1.1987 अनुसार भी जीप में स्पेयर व्हील को जीप की कीमत में अवधारित करते हुए मोडवेट स्कीम में शामिल माना है।

इस प्रकार अतिरिक्त टायर रिम वाहन के साथ विक्रय करना विधिक आवश्यकता होने व टायर का विक्रय संविदा अलग से नहीं होने के कारण वाहन का अभिन्न अंग होने से उस पर वाहन की कर दर से ही कर देय है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने व अपील खारिज किये जाने की गुजारिश की गई है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा राजस्थान मोटर यान नियम 1990 का अध्ययन किया।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा मोटर यान का विक्रय किया जाता है। विक्रय बिलों कम डिलीवरी चालानों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित कीमत में स्टेपनी टायर व 24V Elec.Sys. (2 x 12V Battery) की कीमत जोड़ते हुए तथा फ्री ऑफ कोस्ट टूल्स की कीमत घटाते हुए शुद्ध मूल्य पर बिक्री कर जोड़कर ग्राहकों द्वारा कुल देय राशि अंकित की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि स्टेपनी टायर की कीमत अलग से

लगातार.............4

वसूल किये जाने के कारण व स्टेपनी टायर मोटर यान का अंग नहीं होने के कारण इस पर टायर की दर से करारोपण किया जाना चाहिये, इसलिए आलौच्य अवधि में प्रभावी कर दर आरोपित करते हुए अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया है। साथ ही करापवंचन मानकर अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि स्टेपनी टायर का विक्रय अलग से संविदा के तहत विक्रय नहीं किया गया है। वाहन क्रय करते समय स्टेपनी टायर वाहन चैसिस में बने विशिष्ठ स्थान पर लगा (Fitted) होता है, जो वाहन विक्रय किये जाने पर वाहन के साथ ही ग्राहक को हस्तान्तरित हो जाता है। प्रत्यर्थी के इस तर्क में भी बल है कि राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 7.34 के तहत कम्पनी द्वारा बिक्रीत वाहन के साथ स्टेपनी टायर लगा होना विधिक आवश्यकता भी है। नियम 7.34 को उद्धरित करना समीचीन होगा —

"**7.34. Spare wheel and tools.-** Save as otherwise specified, by the Regional Transport Authority in respect of municipal or cantonment areas, every public service vehicle shall, at all times be equipped with not less than one spare wheel or rim, fitted with a pneumatic tyre in good and sound condition ready and inflated, and mounted in such a way that it can be readily dismounted and fitted to the vehicle, in the place of any one of the road wheels."

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा भी अतिरिक्त टायर को मोडवेट स्कीम के तहत ही माना है, जिसका आशय है कि वाहन के साथ ही स्टेपनी टायर विक्रय होने पर इस पर भी मोडवेट की सुविधा उक्त परिपत्र के आलोक में अनुमत है।

उक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टेपनी टायरों पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपीलीय आदेश दिनांक 30.3.2010 की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
10/3/14